प्रदान किया गया है और ऐसे कितने प्रतिशत छात्र हैं जिन्हें बहुत अधिक खर्च वहन करके अपने लिये आवास की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती है ;

(ख) क्या सरकार छात्रावास सुविधा-प्राप्त छात्रों के प्रतिशत में वृद्धि करने हेतु कोई नई पहल आरम्भ कर रही है ; और

(ग) क्या सरकार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को एक निर्धारित न्यूनतम छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कोई नीतिगत निर्णय लेने का विचार रखती है ?

विज्ञान और प्रौद्योगकी मंत्रालय के राज्य मंत्री साथ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (प्रो० एम०जी०के० मेनन) : (क) अ०जा०/अ०ज०जा० से संबंधित छात्रों की संख्या और उनकी प्रतिशतता से संबंधित सूचना, जिन्हें सरकारी छात्रावासों में आवास स्थान प्रदान किया गया है और उन छात्रों की संख्या जिन्होंने आवास संबंधी प्रबंध अपने आप करने होते हैं, की सूचना शिक्षा विभाग द्वारा नहीं रखी जाती।

(ख) कल्याण मंत्रालय एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत मिडिल तथा शिक्षा के उच्च स्तरों में अध्ययन करने वाली अनु० जाति/अनु० जनजातियों से संबंधित लड़कियों के लिये छात्रावास भवनों के निर्माण के लिये 50 अनुपात 50 के आधार पर राज्य सरकारों को सहायता प्रदान कर रहा है। इनके रख-रखाव संबंधी खर्च राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी निधियों में से ही वहन किया जाता है। इन छात्रावासों में गैर अनु. जा./अनु.ज.जा. के छात्रों के लिये 10% स्थान आरक्षित किये जाते हैं। इस योजना का लाभ अनु.जा./अ.ज.जा. के लड़कों को भी इस वर्ष से प्रदान किया गया है। वि.अनुदान आयोग ने भी विश्वविद्यालयों को नवम्बर, 1982 में इस बात को सुनिश्चित करने के लिये यह भी सलाह दी है कि इस बात का ख्याल किये बिना कि क्या छात्रावासों का वि. अ. आयोग की सहायता अथवा अन्य संसाधनों से निर्माण किया गया है। इनमें अ.जातियों के लिये 15% और अ.ज.जा. के छात्रों के लिये 7-1/2% स्थान आरक्षित किये जएं।

नवोदय विद्यालय केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत 261 विद्यालयों में 9510 अ.जा. के छात्रों और 5493 अ.जा. जा. के छात्रों को आवासीय स्थान दिया जाता है।

(ग) संसाधनों की कमी के कारण अ.जा./अ.ज.जा. के छात्रों की निर्धारित न्यूनतम प्रतिशतता की आवास संबंधी सुविधा अब प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Women's Law Commission

1739. SHRI GHUFRAN AZAM Will the PRIME MINISTER be pleased to state

(a) whether Government propose to set up a women's law commission to change those provisions in the existing laws which are harmful to them;

(b) if so, by when such commission would be set up;

(c) whether the existing provisions of law for women's welfare are inadequate to meet their needs; and

(d) if so, what other efforts Government propose to take to provide safety to women in the country ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (PROF. M. G. K. MENON) . (a) to (d) The proposal to set up a National Commission on Women is under active consideration of the Government.